

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 210/2022

अनवान :-

1. बेलीराम पुत्र श्योलाल जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर।

प्रार्थी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र धनपत जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
2. इन्द्राज पुत्र धनपत जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर हाल हजीरा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।
4. गांधीराम पुत्र जयभगवान जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
5. गिरदावरी पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
6. दरियासिंह पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
7. निहालसिंह पुत्र जयभगवान जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
8. नोरंग पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
9. बनवारी लाल पुत्र धनपत जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
10. महेन्द्र पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
11. रमेश कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
12. राजेन्द्र पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर हाल नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।
13. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
14. रामकुमार पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
15. रामदयाल पुत्र धनपत जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
16. रामलाल पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
17. रामसिंह पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
18. सन्तलाल पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
19. सुरतसिंह पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।
20. हरिसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर हाल हजीरा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :- 1. श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता सायल
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता गैरसायल
दिनांक: 11/02/2025

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता 96 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा के सभी पक्षकारान काबिज है। प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है लेकिन अप्रार्थीगण वादी संयुक्त खाता



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

में दर्ज होने के कारण प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर अजनबी क्रेतागण को काबिज कराने पर आमादा है। अगर गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्ण्य क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता 96 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण सायल के कब्जा काश्त में दखल न दे एवं विशेष हिस्से का बेचान न करे।

अप्रार्थी संख्या स0 14 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है एवं मुश्तरका खाता की भूमि पर सायल अपने सहकाश्तकारों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा वाद भूमि का पूर्वजो के समय से ही बाहमी बंटवारा हो चुका है मुताबिक बंटवारा ही पक्षकार काबिज है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नहीं ले सकेंगे हमें अपूर्ण्य क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि का पूर्व में बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही काबिज है अप्रार्थीगण प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नहीं किया जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेचना किया जा रहा है, कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावों के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्ण्य क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता 96 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायल स0 1 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार


OL

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे हैं न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे हैं चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्ण्य क्षति नहीं होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्ण्य क्षति भी अप्रार्थी को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्ण्य क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से दिनांक 13.09.2022को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर